

:: विज्ञप्ति ::

उत्तराखण्ड शासन आबकारी अनुभाग की अधिसूचना संख्या-148/XXIII-1/2024-04(01)/ 2024 देहरादून दिनांक 21 फरवरी, 2024 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 (दिनांक 01.04.2024 से 31.03.2025 तक) हेतु घोषित आबकारी नीति विषयक नियमावली 2024-25 के क्रम में कार्यालय आबकारी आयुक्त, उत्तराखण्ड देहरादून के पत्र संख्या 24972/सात0 लाई-एस0-47/व्यव/2024-25 सा0निर्देश/विज्ञप्ति/ दे0दून0, दिनांक 29.02.2024 एवं विज्ञप्ति संख्या 26182/ सात0 लाई-एस0-47/आबकारी नीति-2024 देहरादून: दिनांक मार्च, 11, 2024 द्वारा नवीनीकरण के पश्चात् अवशेष अव्यवस्थापित विदेशी मदिरा दुकानों का व्यवस्थापन लॉटरी के माध्यम से किये जाने हेतु निम्नानुसार समय सारणी निर्धारित की गयी है।

| क्र०सं० | प्रथमचरण | दिनांक |
|---------|---|---|
| 1 | लॉटरी हेतु आवेदन करने की तिथि (प्रारम्भ) | 14.03.2024 |
| 2 | लॉटरी हेतु आवेदन प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि व समय | 16.03.2024 (सायं 05.00 बजेतक) |
| 3 | लॉटरी हेतु आवेदन पत्रों का परीक्षण | 17.03.2024 |
| 4 | लॉटरी की तिथि/समय एवं स्थल | (कलेक्ट्रेट परिसर उत्तरकाशी) में 18.03.2024 को प्रातः 10:00 बजे से प्रक्रिया समाप्त होने तक |

निर्धारित राजस्व का विवरण

| क्र० सं० | विदेशी मदिरा दुकान का नाम | वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु कुल निर्धारित राजस्व | वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु अनुज्ञापन शुल्क (कॉलम 3 का 1%) 1000 के पूर्णांकमें | वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु कुल वार्षिक न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी (कॉलम 3-4) | वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु निर्धारित हैसियत की धनराशि (कॉलम 3 का 15 प्रतिशत) | वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु प्रथम प्रतिभूति की धनराशि (कॉलम 5/12) | वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु द्वितीय प्रतिभूति की धनराशि (कॉलम 5/12) | धरोहर धनराशि (कॉलम 3 का 2.5%) | उप दुकान हेतु प्रस्तावित / चिन्हित स्थान |
|----------|---------------------------|--|--|--|---|---|---|-------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | चिन्यालीसौड | 82371571 | 824000 | 81547571 | 12355736 | 6795631 | 6795631 | 2059289 | बड़ेथी |
| 2 | मोरी | 31580387 | 316000 | 31264387 | 4737058 | 2605366 | 2605366 | 789510 | खरसाड़ी |
| 3 | नैटवाड़ | 24825116 | 248000 | 24577116 | 3723767 | 2048093 | 2048093 | 620628 | सांकरी |
| 4 | आराकोट | 8154092 | 82000 | 8072092 | 1223114 | 672674 | 672674 | 203852 | टिकोची |
| 5 | रातलघार | 15133857 | 151000 | 14982857 | 2270079 | 1248571 | 1248571 | 378346 | - |
| योग:- | | 162065023 | 1621000 | 160444023 | 24309754 | 13370335 | 13370335 | 4051625 | ----- |

उक्त मदिरा की दुकानों हेतु उत्तराखण्ड राज्य के स्थायी/मूल निवासी पात्र आवेदकों से निर्धारित प्रारूप पर पहचान पत्र, वांछित हैसियत प्रमाण पत्र प्रारूप (जी0-39), शपथ पत्र एवं धरोहर धनराशि के बैंक ड्राफ्ट के साथ-साथ प्रक्रिया शुल्क रु 65,000/- का बैंक ड्राफ्ट (नॉन रिफन्डेबल) जोकि, जिला आबकारी अधिकारी, उत्तरकाशी के पक्ष में देय हो सहित आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। आवेदक को आवेदन पत्र के साथ गत 2 वर्ष का आई0टी0आर0 प्रमाण-पत्र की सत्यापित छाया प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा। 10 करोड़ या उससे अधिक की दुकान हेतु न्यूनतम वार्षिक आय 7 लाख तथा 10 करोड़ से कम राजस्व वाली मदिरा दुकान हेतु न्यूनतम वार्षिक आय 5 लाख, विगत वर्ष की आई0टी0आर0 प्रमाण-पत्र के अनुसार होना अनिवार्य है। दुकानों के आवंटन के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय लेने का अधिकार जिलाधिकारी/लाईसेंसिंग प्राधिकारी/आवंटन समिति का होगा। उक्त दुकानों के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी विभागीय वेबसाइट www.uttarakhandexcise.org.in अथवा www.uk.gov.in एवं कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, उत्तरकाशी तथा क्षेत्रीय आबकारी निरीक्षक के कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।

18/03/2024
प्र० जिला आबकारी अधिकारी,
उत्तरकाशी।

o/c

.....2

कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, उत्तरकाशी।

संख्या 340 /5-आबकारी/व्यवस्थापन/2024-25/उत्तरकाशी। दिनांक मार्च, 13 2024

प्रतिलिपि:-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. आबकारी आयुक्त, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।
3. उप आबकारी आयुक्त, आई0टी0 अनुभाग मुख्यालय देहरादून को इस अनुरोध के साथ प्रेषित की उक्त विज्ञप्ति को विभागीय वेबसाइट www.uttarakhandexcise.org.in पर अपलोड किये जाने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें।
4. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, उत्तरकाशी को इस अनुरोध के साथ प्रेषित की उक्त विज्ञप्ति को www.uk.gov.in एवं nic की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
5. सम्पादक अमर उजाला/दैनिक जागरण को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त विज्ञप्ति को सरकारी दर पर न्यूनतम सम्भव स्पेस में अपने सम्मानित दैनिक समाचार पत्र में दिनांक 14.03.2024 के अंक में सम्पूर्ण उत्तराखण्ड में प्रकाशित कराते हुये बिल की प्रति भुगतान हेतु इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
6. जिला सूचना अधिकारी, उत्तरकाशी।
7. आबकारी निरीक्षक क्षेत्र-2 पुरोला एवं क्षेत्र-4 डुण्डा को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अपने स्तर से भी व्यापक प्रचार-प्रसार करते हुये उक्त दुकानों व्यवस्थापन कराना सुनिश्चित करें।

Am 13/03/2024

प्र0 जिला आबकारी अधिकारी,
उत्तरकाशी।

o/c